

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2380]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2014/अग्रहायण 4, 1936

No. 2380]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2014/AGRAHAYANA 4, 1936

कृषि मंत्रालय

(पश्पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2014

का.आ. 2962(अ).—तटीय जलकृषि अधिनियम, 2005 (2005 का 24) धारा 4 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 26 जून, 2012 के का. आ. सं. 1438 (अ) में आंशिक आशोधन करते हुए तटीय जलकृषि प्राधिकरण के निम्नलिखित को नियुक्त करती है।

(क) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य सचिव:

डॉ. पी. रविचंद्रन, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, द्वितीय तल, शास्त्री भवन एनेक्सी, 26, हैडोस रोड, चैन्नई-600006, - सदस्य सचिव

[फा. सं. 33036/6/2008-मा.(टी-2)] डॉ. राजाशेखर वुन्द्र, संयुक्त सचिव

4639 GI/2014 (1)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2014

S.O.2962(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005(24 of 2005), the Central Government hereby appoint the following of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose the said Act in partial modification to the Notification in SO No. 1438(E) dt.26th June 2012.

(a) Member Secretary appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 4:

Dr. P.Ravichandran, Coastal Aquaculture Authority, 2nd Floor, Shastri Bhawan, Annexe, 26, Haddows Road, Chennai-600006. -Member Secretary

[F.No. 33036/6/2008-Fy(T-2)] Dr. RAJA SEKHAR VUNDRU, Jt. Secy.